भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †648

दिनांक 25.06.2019/4 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

विभिन्न जेलों में बंद अपराधी

†648. श्री जी.एम. सिद्देश्वरा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश की विभिन्न जेलों में बंद अपराधियों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान देश की जेलों में हुई हाथापाई, हिंसक झड़प और हत्या की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सभी जेलों की वर्तमान क्षमता और इन जेलों में बंद कैदियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या अधिक भीड़ के कारण विचाराधीन और दोषसिद्ध कैदियों को एक ही बैरक में रखा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "भारत में कारागार सांख्यिकी" में कारागार से सम्बंधित आंकड़ों को संकलित करता है। प्रकाशित आंकड़े वर्ष 2016 तक के लिए उपलब्ध हैं। देश भर के कारागारों में झड़पों/सामूहिक झड़पों और कैदियों द्वारा हत्या की घटनाओं के ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं :

वर्ष	**झड़पों/सामूहिक झड़पों की घटनाएं**	**कैदियों द्वारा हत्या**
2014	255	13
2015	187	11
2016	82	14

(ग) दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार देश भर के कारागारों में 3,80,876 कैदियों की क्षमता की तुलना में 4,33,003 कैदी रखे गये थे।

(घ) और (ड.): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अनुसार "कारागार" और "उनमे बंद कैदी" राज्य के विषय हैं। हिरासत प्रबंधन एवं कारागार प्रबंधन की जिम्मेदारी सम्बंधित राज्य सरकारों की हैं। कारागार अधिनियम, 1894 के तहत गैर-दोषसिद्ध अपराधी कैदियों को दोषसिद्ध अपराधी कैदियों से अलग रखने का प्रावधान है। आदर्श कारागार संहिता, 2016 जिसमे विचारणाधीन और हिरासत के अधीन कैदियों को दोषसिद्ध कैदियों से दूर अलग बाड में रखे जाने का प्रावधान है, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई है।

******